भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 645
05/12/2025 को उत्तरार्थ

विषय- झारखंड में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भुगतान

645. श्रीमती महुआ माजी

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त में झारखंड के 19,97,224 किसानों को ₹ 545.97 करोड़ का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह राशि पिछली किस्तों की तुलना में कम है, और इसके क्या कारण हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झारखंड राज्य में पीएम-किसान योजना से बाहर रखे गए किसानों की संख्या कितनी है और ई-केवाईसी न करने, भूमि की सीडिंग न होने या अन्य कारणों से कितने किसानों का भुगतान रुका हुआ है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है। झारखंड राज्य में जारी किए गए लाभों का किस्तवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	किस्त अवधि	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपये करोड़ में)
1	दिसंबर, 2018 - मार्च, 2019	5,65,746	113.15
2	अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019	7,27,985	146.41
3	अगस्त, 2019 - नवंबर, 2019	13,32,800	277.26
4	दिसंबर, 2019 - मार्च, 2020	7,08,437	141.88
5	अप्रैल, 2020 - जुलाई, 2020	15,18,924	439.33
6	अगस्त, 2020 - नवंबर, 2020	22,77,856	504.85
7	दिसंबर, 2020 - मार्च, 2021	22,55,894	460.34
8	अप्रैल, 2021 - जुलाई, 2021	15,90,595	391.42
9	अगस्त, 2021 - नवंबर, 2021	16,28,564	361.43
10	दिसंबर, 2021 - मार्च, 2022	16,59,896	376.96

11	अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022	22,25,580	717.17
12	अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022	12,74,932	350.41
13	दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023	11,76,905	260.26
14	अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023	13,02,856	318.79
15	अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023	12,59,786	381.94
16	दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024	16,18,123	839.80
17	अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	18,42,854	633.39
18	अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024	19,98,474	546.37
19	दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025	22,58,127	833.17
20	अप्रैल, 2025 - जुलाई, 2025	18,89,647	468.95
21	अगस्त, 2025 - नवंबर, 2025	18,23,857	364.77

पीएम-किसान के अंतर्गत, किसानों का सही और सत्यापित डेटा उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। पीएम-किसान योजना का लाभ, पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को ट्रांसफर किया जाता है। कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, पी.एफ.एम.एस. (PFMS), यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप किए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले, योजना के अंतर्गत लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में, पीएम-किसान डेटाबेस का मिलान पीडीएस राशन कार्ड डेटाबेस, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) अभिलेखों (जिसमें मृत्यु के कारण निष्क्रिय किए गए आधार भी शामिल हैं) तथा पी.एफ.एम.एस. (PFMS) और आयकर डेटा के साथ भी किया जाता है, ताकि दोहराव (डुप्लीकेशन) न हो। जिन मामलों में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य पंजीकृत पाए गए, तथा जिनमें भूमि के मूल स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के माध्यम से भूमि हस्तांतरण होने पर पूर्व तथा वर्तमान दोनों भू-स्वामियों को पंजीकृत पाया गया, वहाँ लाभ भी रोके गए।

इस प्रक्रिया में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों की संख्या में कमी आई। 02.12.2025 तक, झारखंड के कुल 5.93 लाख किसानों ने अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं की हैं, इसलिए उन्हें योजना का भुगतान रोक दिया गया है। जब ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें योजना का लाभ मिलने लगता है।
